2-5-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
केस [illegible] में पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी: उपस्थित/अनुपस्थित

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ::::
को पेश हो

[illegible] केस [illegible] में मूल वाद में विद्वान [illegible] वाद खारिज कर दिया है इसलिये वाद प्रार्थना [illegible] खारिज किये जाने योग्य है इसलिये वाद खारिज किया जाता है। उक्त आदेश केस [illegible] के बाद में मुझे सजमे काम में लगाया गया। पत्रावली पेश हुआ [illegible] केस है।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner